

भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
विदेश व्यापार महानिदेशालय

**सार्वजनिक सूचना सं. 11 (आर.ई 2012)/(2009-2014)**  
**नई दिल्ली, दिनांक: 26 जुलाई, 2012**

**विषय:- उद्गम का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों (गैर तरजीही) को परिशिष्ट 4ग में शामिल करने के संबंध में।**

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ (एफआईएसएमई) की निम्नलिखित दो शाखाओं को उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए प्राधिकृत करते हैं:-

भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ म.सं0 6-3-569/1/2/4, दूसरा तल, रॉकेल कंपाउण्ड, इनेडु कार्यालय के निकट, आर टी ओ कार्यालय के सामने, सोमाजीगुडा, हैदराबाद-500082 दूरभाष: 040-23322117 फैक्स: 040-23312116 ई मेल: <a href="mailto:hyderabad@fisme.org.in">hyderabad@fisme.org.in</a>	भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ, 57/5, फैमली वाई एम सी ए बिल्डिंग, मिलर्स रोड, बेन्सन टॉउन, बंगलुरु- 560046 दूरभाष: 080-23543589 फैक्स: 080-41657607 ई मेल: <a href="mailto:bangalore@fisme.org.in">bangalore@fisme.org.in</a>
--	--

2. तदनुसार, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-I (2009-2014) के परिशिष्ट 4ग (उद्गम का प्रमाणपत्र-गैर तरजीही जारी करने के लिए प्राधिकृत एजेंसियों की सूची) की क्रम सं0 7 (आंग्रे प्रदेश) और क्रम सं0 7 (कर्नाटक) में उपरोक्त शाखाओं (हैदराबाद और बंगलुरु में) के नाम शामिल किए जाते हैं

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

उद्गम का प्रमाणपत्र (गैर तरजीही) जारी करने के लिए बंगलुरु और हैदराबाद में एक-एक अतिरिक्त शाखा को शामिल किया गया है।

(अनुप के. पूजारी)  
महानिदेशक, विदेश व्यापार  
ई-मेल: [dgft@nic.in](mailto:dgft@nic.in)

(फा0सं0.01/93/180/24/एएम12/पीसी-2(बी)से जारी)